न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–140/2014
CIS NO. TS 191/2019

सरफुद्दीन अंसारी.....वादी

बनाम

फसीहुद्दीन मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2024 को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.02.2024 को वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार किया गया लेकिन वादी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संशोधन नहीं किया गया। वादपत्र में संशोाधन करना काफी आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र में दिनांक 03.02.2024 के आलोक में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया बल्कि मौखिक विरोध किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा, अधिकार स्वत्व की घोषणा तथा दखल कब्जें की पूष्टि के लिए लाया गया है। आदेश दिनांक 03.02.2024 से स्पष्ट है कि वादी को संशोधन के माध्यम से वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी गयी थी लेकिन वादी द्वारा समय सीमा के अंतर्गत संशोधन नहीं किया गया। वादी का आवेदन औपचारिक प्रकृति का है तथा इसे स्वीकार करने से वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही	

<u>न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–140/2014</u>
<u>CIS NO. TS 191/2019</u>

सरफुद्दीन अंसारी.....वादी

बनाम

फसीहुद्दीन मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.07.2024	होता है। चूँकि वादी के द्वारा संशोधन प्रक्रिया में लापरवाही बरती गयी है फिर भी न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 29.05.2024 स्वीकार किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 03.09.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	